अध्याय 1
प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, राज्य के आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित सरकारी विभागों एवं स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा से प्रकटित प्रकरणों से सम्बन्धित है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 बजट रूपरेखा, लेखापरीक्षा की योजना एवं सम्पादन तथा लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रियात्मकता का उल्लेख करता है। इस प्रतिवेदन का अध्याय 2, एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा एक विषयगत लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों से सम्बन्धित है। अध्याय 3 विभिन्न विभागों एवं स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों से सम्बन्धित है।

1.2 बजट की रूपरेखा

राज्य के आर्थिक क्षेत्र में 18 विभाग एवं 86 स्वायत्त निकाय हैं जो महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ की लेखापरीक्षा परिधि में आते हैं। 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गयी है।

तालिका 1.1 : 2011–16 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	52,787.37	52,946.91	62,175.69	59,906.72	66,342.70	61,983.49	74,325.18	64,305.72	80,923.25	72,227.92
सामाजिक सेवाएँ	51,259.27	47,390.94	59,081.49	53,300.32	66,219.05	60,756.28	75,478.78	60,905.79	84,969.91	82,486.46
आर्थिक सेवाएँ	20,290.65	18,292.00	23,639.78	21,337.36	25,552.71	25,710.71	36,582.54	34,885.24	39,686.37	47,881.29
सहायता अनुदान एंव अंशदान	5,308.25	5,255.10	6,244.67	6,179.24	9,777.74	9,696.38	11,038.38	10,930.57	10,176.65	10,140.28
योग (1)	**1,29,645.54**	**1,23,884.95**	**1,51,141.63**	**1,40,723.64**	**1,67,892.20**	**1,58,146.86**	**1,97,424.88**	**1,71,027.32**	**2,15,756.18**	**2,12,735.95**
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	25,959.73	21,573.96	26,978.26	23,834.29	32,767.40	32,862.60	55,986.16	53,297.27	63,154.26	64,422.72
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,240.15	975.57	1,324.78	1,003.24	1,953.73	1,473.34	1,909.67	1,872.64	2,792.99	9,117.91
लोक ऋण का प्रतिदान	18,356.25	8,287.61	18,843.96	8,909.04	18,587.86	8,166.74	19,383.88	9,411.21	20,983.89	17,672.76
आकस्मिक निधि	87.65	309.64	0.00	262.45	0.00	86.55	0.00	203.15	0.00	44.07
लोक लेखा संवितरण	2,41,622.91	1,30,970.76	2,64,609.27	1,29,471.51	2,84,702.18	4,49,188.03	3,29,518.75	4,77,981.08	4,11,018.14	4,08,011.46
अंतिम रोकड़ शेष	--	13,446.70	--	15,172.42	--	4,020.63	--	–356.12	--	–200.21
योग (2)	**2,87,266.69**	**1,75,564.24**	**3,11,756.27**	**1,78,652.95**	**3,38,011.17**	**4,95,797.89**	**4,06,798.46**	**5,42,409.23**	**4,97,949.28**	**4,99,068.71**
सकल योग	**4,16,912.23**	**2,99,449.19**	**4,62,897.90**	**3,19,376.59**	**5,05,903.37**	**6,53,944.75**	**6,04,223.34**	**7,13,436.55**	**7,13,705.46**	**7,11,804.66**

*(**स्रोतः** सम्बन्धित वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन)*

1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

₹ 2,81,703.43 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध ₹ 2,86,276.58 करोड़ का कुल व्यय[1] हुआ। 2015–16 में राज्य का कुल व्यय ₹ 2,26,197.23 करोड़ (2014–15) से बढ़कर ₹ 2,86,276.58 करोड़ (26.56 प्रतिशत) तक हो गया, 2015–16 में राजस्व व्यय भी ₹ 1,71,027.32 करोड़ (2014–15) से बढ़कर ₹ 2,12,735.95 करोड़ (24.38 प्रतिशत) तक हो गया। 2015–16 में गैर–योजनागत राजस्व व्यय 1,01,269.25 करोड़ (2011–12) से बढ़कर ₹ 1,69,484.6 करोड़ (67 प्रतिशत) हो गया तथा 2011–16 की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 25,959.73 करोड़ (2011–12) से बढ़कर 2015–16 में ₹ 64,422.72 करोड़ तक (148.16 प्रतिशत) हो गया।

वर्ष 2011–16 के दौरान कुल व्यय का 24 से 46 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय का था एवं पूँजीगत व्यय[2] 54 से 76 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय 17 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा जबकि 2011–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ीं।

1.4 सतत् बचतें

पिछले पाँच वर्षों में 18 मामलों में, प्रत्येक वर्ष ₹ एक करोड़ से अधिक की सतत् बचत हुयी जैसा कि **तालिका 1.2** में वर्णित है:

तालिका 1.2 : 2011–16 के दौरान सतत् बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
राजस्व दत्तमत						
1	**11:** कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	766.37	644.92	596.10	425.39	438.74
2	**15:** कृषि एवं अन्य सम्बंद्ध विभाग (पशुपालन)	34.21	23.06	662.21	54.12	150.60
3	**32:** चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	145.70	403.79	471.33	672.14	938.53
4	**37:** नगरीय विकास विभाग	625.51	238.51	654.69	2762.12	1390.72
5	**42:** न्यायिक विभाग	172.36	178.52	223.31	330.65	329.12
6	**48:** अल्प संख्यक कल्याण विभाग	13.69	104.26	201.19	815.40	852.81
7	**54:** लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	238.54	681.45	1,041.27	1265.68	1384.03
8	**61:** वित्त विभाग (ऋण सेंवाएँ एवं अन्य व्यय)	59.73	65.45	87.57	109.64	48.77
9	**73:** शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	745.76	816.09	348.28	422.39	278.80
10	**83:** समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना)	792.46	1762.10	1,315.74	2509.94	2306.78
	योग	**3,594.33**	**4,918.15**	**5,601.69**	**9,367.47**	**8,118.90**
पूँजीगत दत्तमत						
1	**11:** कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	100.86	177.73	470.53	286.17	533.67
2	**21:** खाद्य एवं जन आपूर्ति विभाग	1811.78	1039.49	4,646.82	2192.04	11.71
3	**32:** चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	147.14	230.68	283.83	93.86	104.48
4	**37:** नगरीय विकास विभाग	261.77	737.99	369.91	21.86	174.96
5	**42:** न्यायिक विभाग	78.43	21.23	336.17	153.89	241.77
6	**48:** अल्प संख्यक कल्याण विभाग	373.36	164.73	148.22	640.44	635.44
7	**73:** शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	19.28	123.76	185.35	69.77	314.84
8	**83:** समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना)	415.46	588.84	524.04	1634.76	1357.70
	योग	**3,208.08**	**3,084.45**	**6,964.87**	**5,092.79**	**3,374.57**

(स्रोत:सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन खाते)

[1] कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय एवं संवितरित ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

[2] अन्तिम रोकड़ शेष को छोड़कर।

1.5 भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका 1.3** में दर्शाए गए है:

तालिका 1.3 : भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
गैर–योजनागत अनुदान	4,396.73	4,341.00	7,933.79	6,808.88	8,273.90
राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	6,813.28	5,518.39	6,595.22	6,576.02	1,933.17
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों केलिए अनुदान	6,549.89	7,478.40	225.90	17.37	16.30
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	0.00	7,650.26	19,289.20	21,637.97
योग	**17,759.90**	**17,337.79**	**22,405.17**	**32,691.47**	**31,861.34**
पूर्व वर्ष से प्रतिशत वृद्धि / (कमी)	15	–2	29.23	45.91	–2.54
राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत	14	12	13.32	16.90	14.03

*(**स्रोत:** सम्बन्धित वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन)*

1.6 लेखापरीक्षा की योजना एवं सम्पादन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों एवं स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं / परियोजनाओं आदि का उनके व्यय, गतिविधि की गम्भीरता / जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों की चिंताओं एवं पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर जोखिम आकलन के साथ शुरू होती है। इस जोखिम आकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की बारम्बारता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन में संकलित कर कार्यालय प्रमुख को इस अनुरोध के साथ निर्गत किया जाता है कि इसके उत्तर एक महीने के अंदर प्रेषित किये जायें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को या तो निस्तारित कर दिया जाता है या पुनः अनुपालन की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समावेश हेतु कार्यवाही की जाती है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2015–16 में कार्यालय, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के 18 विभागों तथा 86 स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित 178 योजनागत इकाइयों में से 178 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी, साथ ही एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा एक विषयगत लेखापरीक्षा भी की गयी।

विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 14(2) के तहत कार्यालय, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश को विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का अधिदेश प्राप्त है जो प्राविधानित करता है कि नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से उन निकायों या प्राधिकरणों की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों की लेखापरीक्षा करेगा, जिस निकाय या प्राधिकरण को किसी राज्य की समेकित निधि से ऋण या अनुदान के रूप में एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रूपये से कम प्राप्ति न हुई हो। उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल ने इस सन्दर्भ में अपनी सहमति (जून 1985) दे दी है।

उ0प्र0 सरकार ने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान राज्य की समेकित निधि से इन विकास प्राधिकरणों को ₹ 648.69 करोड़ एवं ₹ 1,191 करोड़ क्रमशः अतिरिक्त

स्टाम्प ड्यूटी व अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये हस्तान्तरित किये। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए), गाजियाबाद ने वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान क्रमशः ₹ 54.58 करोड़ एवं ₹ 54.54 करोड़ अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर राज्य की समेकित निधि से प्राप्त किये।

विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का स्पष्ट अधिदेश होने के कारण इस कार्यालय द्वारा मई 2016 तक विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नियमित रूप से की गई। इसके अतिरिक्त, जीडीए की निष्पादन लेखापरीक्षा इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए शुरू की गई। तथापि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा करवाने से मना कर दिया (जून 2016)। इस कारण, जीडीए की निष्पादन लेखापरीक्षा को स्थगित कर दिया गया तथा 11 विकास प्राधिकरणों[3] की लेखापरीक्षा जो वर्ष 2016–17 के लिये योजनागत थी, शुरू नहीं की जा सकी। यह प्रकरण राज्य के माननीय राज्यपाल के पास सन्दर्भित है।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) लेन–देनों की नमूना जाँच द्वारा सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों का आवधिक निरीक्षण करते है एवं महत्वपूर्ण लेखा–सम्बंधी एवं अन्य दस्तावेजों/अभिलेखों के निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार रख–रखाव की पुष्टि करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का पता लगने पर यदि कार्य स्थल पर निस्तारण नहीं हो पाता है तो ये नि.प्र. लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं प्रतिलिपि अगले उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है। कार्यालयप्रमुखों एवं अगले उच्चाधिकारियों को अपने अनुपालन, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) को इन नि.प्र. की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर देना होता है।

2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 32 बैठकें हुई जिनमें 696 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

मार्च 2016 तक 18 विभागों एवं 86 स्वायत्त निकायों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2016 तक 1,295 नि.प्र. से सम्बन्धित लगभग ₹ 64,789.53 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 4,667 प्रस्तर लम्बित थे। इसमें से पुराने मामले 2007–08 से 2010–11 में निर्गत किये गये 664 नि.प्र. से सम्बन्धित थे तथा 2,041 प्रस्तर जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 34,337.30 करोड़ था, पाँच वर्ष से अधिक समय से निस्तारित नहीं किये गये थे। इन लम्बित 1,295 नि.प्र. एवं 4,667 प्रस्तरों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल प्रेक्षणों पर विभागीय अधिकारी समयबद्ध कार्यवाही करने में असफल रहे जिससे जवाबदेही का अपरदन हुआ।

सरकार को सुझाव है कि वह मामले को देखें ताकि लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर तत्काल एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रस्तरों/समीक्षाएँ) पर सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में, चयनित विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन एवं आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कमी, जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, पर लेखापरीक्षा ने अपना प्रतिवेदन दिया है। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा का लक्ष्य कार्यपालिका को सुधारात्मक

[3] बरेली विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विध्यांचल–मिर्जापुर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, गढ़मुक्तेश्वर, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण तथा कानपुर विकास प्राधिकरण।

कार्यवाही एवं नागरिकों के सेवा प्रदेयता को सुधारने के लिए उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रदान करने पर केन्द्रित था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल होने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रस्तरों पर अपना प्रतिउत्तर एक महीने के भीतर भेजना होता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकार के प्रस्तरों को शामिल करने की संभावना के दृष्टिगत इन मामलों में उनकी टिप्पणी शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें महालेखाकार (ईएण्डआरएसए) के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विचार विमर्श के लिए बैठक करने की सलाह भी दी गयी। प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रतिवेदनों एंव प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों को भी उनके जवाब के लिए अग्रसारित किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवदेन के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं पाँच प्रस्तर (एक विषयगत प्रस्तर भी शामिल) अग्रसारित किये गये लेकिन केवल दो मामलों पर सरकार के उत्तर प्राप्त हुए हैं।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्य–प्रणाली नियमों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी प्रस्तर एवं समीक्षाओं पर स्वःविवेक से कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना था चाहे इसे लोक लेखा समिति द्वारा संपरीक्षा के लिये लिया गया हो अथवा नहीं। राज्य विधान मण्डल के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उन पर की गयी सुधारात्मक कार्यवाही या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही को इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा उचित जाँचोपरान्त विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ भी उनके द्वारा प्रस्तुत की जानी थी।

31 मार्च 2016 तक की अवधि में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों के संबंध में 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों (एटीएन) की स्थिति **तालिका 1.4** में दी गयी है:

तालिका 1.4 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के प्राप्त होने की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	प्रस्तुतीकरण की तिथि	व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त करने की निर्धारित तिथि	31 अगस्त 2016 तक लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ
आर्थिक क्षेत्र (गैर–पीएसयू)	2012–13	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	1 जुलाई 2014	31 अक्टूबर 2014	प्राप्त नहीं
आर्थिक क्षेत्र (गैर–पीएसयू)	2013–14	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	17 अगस्त 2015	18 अक्टूबर 2015	प्राप्त नहीं
		सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग			
		वन विभाग			
		ऊर्जा विभाग			
आर्थिक क्षेत्र (गैर–पीएसयू)	2014–15	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	8 मार्च 2016	7 जून 2016	प्राप्त नहीं
		अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग			
		अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग			
		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग			
		वन विभाग			

***(स्रोतः** लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2012–13 से 2014–15, आर्थिक क्षेत्र.–गैर पीएसयू)*

1.10 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर की गई वसूली

लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों पर दो प्रकरणों में ₹ 1.70 करोड़ इंगित की गयी वसूली स्वीकार कर ली गयी। जिनमें से दो प्रकरणों में ₹ 0.99 करोड़ की वसूली 2015–16 में कर ली गयी जैसा कि **तालिका 1.5** में वर्णित है।

तालिका 1.5 : लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूली जिसे विभाग द्वारा स्वीकार/वसूल कर लिया गया

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूली का विवरण	2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकृत की गई वसूली		2015–16 के दौरान प्रभावी वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	समाहित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	समाहित धनराशि
वन विभाग	विविध	1	1.36	1	0.65
नागरिक उड्डयन विभाग	विविध	1	0.34	1	0.34
योग		**2**	**1.70**	**2**	**0.99**

***(स्रोतः** प्रगति रजिस्टर के अनुसार)*

1.11 राज्य विधान मण्डल में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन–देन, परिचालन सम्बन्धी गतिविधि एवं लेखे, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती हैं। राज्य में दो स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है।

एक स्वायत्त निकाय (उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग) के वर्ष 2003–04 से 2014–15 की अवधि के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत किये गये जिन्हें अभी भी राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है **(परिशिष्ट 1.2)**। इन्हें अतिशीघ्र राज्य विधान मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।